न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास अलवर (राज0)

अध्याशापितः– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

दावा सं0 128/19 | प्रवेश तिथि 04.12.2019 | निर्णय दिनांक 10.10.2022

उनवान

1. श्रीमती हाजरा पत्नी श्री जव्वार खां जाति मेव निवासी ग्राम सिकारपुर तहसील तावडू जिला मेवात नूंह हरियाणा

:– वादीया

वनाम

1. महमूद खां पुत्र श्री नूरमोहम्मद निवासी ग्राम न्याणा तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान
2. पंजाव नेशनल वैंक शाखा खानपुरमेवान अलवर जर्ये शाखा प्रबंधक

:–असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहव किशनगढ़बास जिला अलवर – लैण्डहोल्डर

:–तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थितिः– वादी की ओर से श्री दमन यादव वकील
प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्नप्रकार से है। वादीया ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा संख्या 271 रकबा 0.14, 272/408 रकबा 0.06 किता 2 रकबा 0.20 हैक्टेयर में से 1/4 भाग व आराजी हाल खसरा संख्या 272 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 1/4 भाग दर 20/21 भाग वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान में विद्यमान है जो इस मौजूदा वाद में विवादित आराजी से संबोधित है। विवादित आराजीयात का असल प्रतिवादी संख्या एक रिकॉर्डेड काबितज काश्तकार खातेदार रहा है जिस असल प्रतिवादी संख्या एक से विवादित आराजीयात को तय प्रतिफल अदा कर वाकब्जा मिन वादीया द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 18.08.2008 को क्रय किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

जो रजिस्टर्ड बयनामा उपपंजीयक किशनगढ़बास जिला अलवर के यहां दिनांक 18.08.2008 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 407 में पृष्ठ संख्या 132 क्रम संख्या 2008001755 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 786 के पृष्ठ संख्या 199 से 207 पर चस्पा किया गया। इस प्रकगार बाद खरीद विवादित आराजीयात की मिन वादीया बोनाफाईड परचेजर की हैसियत से काबिज काश्तकार खातेदार हैं और मौके पर काबिज रह कर कार्य काश्त करती चली आ रही है। मिन वादिया ने उक्त गलत इंद्राज की बाबत बाद जानकारी असल प्रतिवादी संख्या एक से संपर्क कर विवादित आराजीयात को असल प्रतिवादी संख्या 2 से रहनफक कराने व मुताबिक बयनामा राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजीयात की बाबत अपने नाम का इंद्राज हटवाते हुए वादीया के नाम का इंद्राज कराने बाबत निवेदन किया लेकिन असल प्रतिवादी संख्या एक टालबाल का रवैया अपनाता रहा लेकिन अब अंततः दिनांक 17.11.2019 को असल प्रतिवादी संख्या एक ने विवादित आराजी को रहनफक कराने व उक्त गलत इन्द्राज दुरुस्त कराने से साफ मना कर दिया बन्कि ऐलानिया तौर पर कहा कि देखो विवादित आराजीयात मेरे नाम पर है और वो वादी को अजखुद व ऐजेन्टान के जर्ये जबरन बेदखल कर विवादित आराजी पर कब्जा करेगा व आराजी किसी दीगर को रहन, बय, हिबा आदि करेगा। यदि बीच में आये तो परिणाम भुगतने को तैयार रहना।यदि असल प्रतिवादी संख्या एक अपने नापाक इरादों में सफल हो गया तो उस सूरत में मिन वादीया को अपार नापूर्ति होने वाली क्षति होगी व मौके पर झगड़ा फिसाद अशांति को बल मिलेगा, मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा। आर्थिक क्षति होगी। इसलिए न्यायहित में प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषे. से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। इसलिए यह दावा हाजा अदालत श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिम आया है। मौजूदा वाद के लिए बिनायादावी व बिनयमुखासमत इस कदर पैदा होती है कि विवादित आराजी यात को मिन वादीया ने असल प्रतिवादी संख्या एक से जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 18.08.2008 को तयप्रतिफल अदा कर बाकब्जा क्रय किया गया। बाद क्रय विवादित आराजीयात का मिन वादीया बोनाफाईड परचेजर की हैसियत से काबिज काश्तकार खातेदार है व मौक पर काबिज है। मिन वादीया ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा इंतकाल तय स्वीकृत कर वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु संबंधित तहसीलदार साहब, पटवारी हल्का, ग्राम पंचायत जर्ये सरपंच से निवेदन कर दिया गया था जिन्होंने आश्वस्त किया था कि वादीया के नाम इंतकाल बैय स्वीकृत होकर रिकॉर्ड में उसका नाम का अमल हो जावेगा। वादीया अब तक इसी विश्वास में रही कि मौका कब्जा, दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर रिकॉर्ड में उसका नाम का अमल हो गया होगा। अब हाल मे मिन वादीया को सघन कृषि हेतु क्रेडिट कार्ड की जरूरत हुई जिसके लिए राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की आवश्यकता हुई जिसके लिए मिन वादीया ने संबंधित पटवारी हल्का से संपर्क किया तो ज्ञात हुआ कि विवादित आराजीयात असल प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर है । जो इंद्राज खिलाफ मौका कब्जा वस्तुस्थिति व दस्वातेजी साक्ष्य के विपरीत है, कानून विरूद्ध हैं यह भी ज्ञात हुआ कि असल प्रतिवादी संख्या एक ने विवादित आराजी को असल प्रतिवादी संख्या 2 के यहां रहन रखा हुआ है। इसकी जानकारी पूर्व मे नहीं रही है। बाद जानकारी मिन वादीया ने असल प्रतिवादी संख्या एक से विवादित आराजी को रहन फक कराने व इंद्राज दुरुस्त कराने बाबत कहा तो वो टालबाल कर गया और लेकिन अब अंततः दिनांक 17/11/2019 को असल प्रतिवादी संख्या एक ने विवादित आराजी को

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

रहनफक कराने व उक्त गलत इन्द्राज दुरुस्त कराने से साफ मना कर दिया बल्कि ऐलानिया तौर कहा कि देखो विवादित आराजीयात मेरे नाम पर है। और वो वादी को अजखुद व ऐजेन्टान के जर्ये जबरन बेदखल कर विवादित आराजी पर कब्जा करेगा व आराजी किसी दीगर को रहन, बय , हिबा आदि करेगा। यदि बीच में आये तो परिणाम भुगतने को तैयार रहना। इसलिए यह दावा बिना देरी के अंदर अवधि में पेश करना लाजिम आया है।

अतः दावा वादीया स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया निम्न अनुतोष अताः फरमाया जावे कि:–

1. यह है कि डिक्री बाबत इश्तकराहक बहक वादी विरूद्व असल प्रतिवादी सं0 एक इस कदर सादिर फरमाई जावे कि विवादित आराजी हाल ख0न0 271 रकबा 0.14, 272/408 रकबा 0.06 किता 2 रकबा 0.20 हैक्टेयर में से 1/4 भाग व आराजी हाल खसरा संख्या 272 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 1/4 भाग दर 20/21 भाग वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर जिला अलवर राजस्थान की बाबत असल प्रतिवादी सं0 एक से विवादित आराजीयात को असल प्रतिवादी सं0 2 से रहन फक कराया जाकर असल प्रतिवादी सं0 1 का नाम ताहाल राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर हटाया जाकर मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 18.8.2008 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ताहाल आदि में वादीया का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अमल दरामद किया जावे।

2. यह है कि डिक्री बाबत हुकमइम्तनाई दवामी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस कदर सादिर फरमाई जावे कि विवादित आराजी हाल ख0न0 271 रकबा 0.14, 272/408 रकबा 0.06 किता 2 रकबा 0.20 हैक्टेयर में से 1/4 भाग व आराजी हाल खसरा संख्या 272 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 1/4 भाग दर 20/21 भाग वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर की बाबत असल प्रतिवादी सं0 एक से विवादित आराजीयात को असल प्रतिवादी सं0 2 से रहनफक कराया जाकर असल प्रतिवादी सं0 1 का नाम ताहाल राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर हटाया जाकर मुताबिक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 18.8.2008 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ताहाल आदि में वादिया का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अमल दरामद किया जावे।

3. यह है कि डिक्री बाबत हुकमइम्तनाई दवामी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस कदर सादिर फरमाई जावे कि विवादित आराजी हाल ख0न0 271 रकबा 0.14, 272/408 रकबा 0.06 किता 2 रकबा 0.20 हैक्टेयर में से 1/4 भाग व आराजी हाल खसरा संख्या 272 रकबा 0.27 हैक्टेयर में से 1/4 भाग दर 20/21 भाग वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान में विधमान है में असल प्रतिवादी सं0 एक अजखुद व ऐजेन्टान के मार्फत वादीया के उपभोग उपभोग करने कार्य काश्त करने में बाधा ना डाले, जबरन बेदखल ना करे, जबरन कब्जा ना करे व गलत इन्द्राज की आड में आराजी मुतनाजा को दीगर शख्स को एक इंच भाग का भी बेचान रहन आदि ना करे। मौके व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। ऐसा करने से बाज आवे।

4. यह है कि खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

5. यह है कि अन्य अनुतोष जो उचित व न्यायसंगत हो बहक वादीगण अताः फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील एवं स्वंय उपस्थित हुआ लेकिन जवाब पेश नही किया। जबाब बंद किया गया। प्रतिवादी सं0 3 का जबाब पेश हुआ । पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई । वादीया ने साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू–1, पीडब्लू–2 अहमदी, पीडब्लू– 3 जुहरदीन के शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में बयनामा दिनांक 18.8.2008 प्रंदर्श–1, प्रदर्श–2 लगा0 प्रदर्श–6 जमाबंदी विवादित आराजीयात सवंत 2059–2062, प्रदर्श–7 लगा0 प्रदर्श–9 जमाबंदीयात सं0 2071–74 पेश किया है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा वादी डिक्री किये जाने को निवेदन किया। वकील वादीया की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज एवं प्रमाणित बयनामा दिनांक 18.8.2008 तथा साक्ष्य सबूतो से साबित है कि विवादित आराजी वादीया की खरीद शुदा, कब्जा काश्त खाातेदारी की आराजी है। लेकिन बयनामा का इंतकाल वादिया के नाम अमल में नही आने के कारण प्रतिवादीगण का नाम आज भी हाल राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है जबकि प्रतिवादी नं0 1 ने स्वंय उपस्थिति होकर विवादित आराजी का बयनामा वादीया को किया जाना स्वीकार किया गया। अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत बयनामा दिनांक 18.8.2008 से साबित है कि विवादित आराजी वादीया की खरीद शुद्वा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। अतः बयनामा दिनांक 18.8.22 के अनुसार वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित एंव न्यायसंगत समझते है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 271 रकबा 0.14, 272/408 रकबा 0.06 किता 2 रकबा 0.20 हेक्टेयर में से 1/4 भाग व आराजी हाल ख0न0 272 रकबा 0.27 हे0 में से 1/4 भाग दर 20/21 वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में वादिया को खरीददार खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रिकार्ड में जो अमल प्रतिवादी सं01 का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादिया के नाम का अंकन किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हों । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(श्री गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास अलवर (राज0)

अध्याशापितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

दावा सं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
128 / 19	04.12.2019	10.10.2022

उनवान

1. श्रीमती हाजरा पत्नी श्री जब्बार खां जाति मेव निवासी ग्राम सिकारपुर तहसील तावडू जिला मेवात नूंह हरियाणा

:— वादीया

बनाम

1. महमूद खां पुत्र श्री नूरमोहम्मद निवासी ग्राम न्याणा तहसील किशनगढ़वास जिला अलवर राजस्थान
2. पंजाव नेश्नल बैंक शाखा खानपुरमेवान अलवर जर्ये शाखा प्रवंधक

:—असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब किशनगढ़बास जिला अलवर — लैण्डहोल्डर

:—तकमीली प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188

आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थितिः— वादी की ओर से श्री दमन यादव वकील

प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

पर्चा डिक्री

वाद वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 271 रकबा 0.14, 272/408 रकबा 0.06 किता 2 रकबा 0.20 हेक्टेयर में से 1/4 भाग व आराजी हाल ख0न0 272 रकबा 0.27 हे0 में से 1/4 भाग दर 20/21 वाके ग्राम रावका तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में वादिया को खरीददार खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रिकार्ड में जो अमल प्रतिवादी सं01 का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादिया के नाम का अंकन किया जावे। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हों । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(श्री गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी